न्यायालय अपर कलक्टर, नागौर, जिला नागौर (राज.)

पीठासीन अधिकारी – श्री चम्पालाल जीनगर, आर0ए0एस0

पंचायत निगरानी संख्या : 62 / 2025

प्रार्थी	बनाम	अप्रार्थीगण
अनिल नेतड पुत्र सुखराम जाति जाट निवासी पालडी कलां तहसील डेगाना जिला नागौर		1 विकास अधिकारी, पंचायत समिति भैरून्दा तहसील डेगाना जिला नागौर। 2 पंचायत समिति भैरून्दा जरिये विकास अधिकारी, जिला नागौर। 3 ग्राम पंचायत पालडी कलां तहसील डेगाना जिला नागौर जरिये सरपंच। 4 ग्राम पंचायत पालडी कलां तहसील डेगाना जिला नागौर जरिये ग्राम विकास अधिकारी। 5 तुलसीराम पुत्र जेठाराम 6 तुलसीदेवी पत्नी सुखराम 7 सीतादेवी पत्नी तुलसीराम 8 सुनिल नेतड पुत्र सुखराम जातियान जाट निवासीगण पालडी कलां तहसील डेगाना जिला नागौर। 9 हाबुराम पुत्र धुकलराम जाति जाट निवासी छाबासर तहसील डेगाना जिला नागौर।

उपस्थिति–

1 श्री भागीरथ चौधरी अधिवक्ता, प्रार्थी की ओर से

2 श्री श्याम बारूपाल अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 9 की ओर से।

पंचायत निगरानी अन्तर्गत धारा 97 राज. पंचायतराज अधिनियम 1994

निर्णय

दिनांक 23.03.2026

1–प्रकरण इस प्रकार है कि प्रस्तुत निगरानी राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 97 के अन्तर्गत विकास अधिकारी, पंचायत समिति भैरूंदा द्वारा आदेश क्रमांक पसभै / पंचायत 2025–26 / 1353 दिनांक 09.09.2025 से असंतुष्ट होकर दिनांक 07.10.2025 को प्रस्तुत की गई। प्रार्थी की निगरानी दिनांक 09.10.2025 को दर्ज रजिस्टर की जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 01 व 02 दिनांक 28.10.2025 को उपस्थित हुए, तत्पश्चात न्यायालय में अनुपस्थित रहे। अप्रार्थी संख्या 05 से 08 तक बावजूद सूचना के न्यायालय में गैर हाजिर रहे है। अप्रार्थी संख्या 09 की ओर से श्री श्याम बारूपाल अधिवक्ता ने वकालतनामा पेश किया। प्रार्थी ने अपनी निगरानी के समर्थन में कार्यालय पचांयत समिति भैरून्दा के आदेश दिनांक 09.09.2025 की फोटोप्रति, जांच रिपोर्ट की फोटोप्रति, ग्राम पंचायत पालडी कलां के पत्र दिनांक 10.07.2025 की फोटोप्रति, ग्राम पंचायत पालडी कलां के पत्र क्रमांक 79 दिनांक 10.07.25 की फोटोप्रति, जांच बयान दिनांक 04.07.2025 की फोटोप्रति, कार्यालय जिला कलक्टर नागौर के पत्र दिनांक 23.12.19 की फोटोप्रति, नायब तहसीलदार डेगाना के पत्र दिनांक 23.08.24 की फोटोप्रति, न्यायालय नायब तहसीलदार डेगाना के आदेश दिनांक 23.08.24 की फोटोप्रति, तहसीलदार डेगाना के अनवान सरकार बनाम हाबुराम के फर्दअहकाम दिनांक 27.06.17 से 27.07.17 तक की फोटोप्रति, फर्दबेदखली दिनांक 08.12.17 की फोटोप्रति, मौका रिपोर्ट की फोटोप्रति तथा वकील अप्रार्थी संख्या 09 ने हाबुराम के आधार कार्ड की फोटोप्रति, पंचायत समिति भैरून्दा के पत्र दिनांक 09.09.2025 की फोटोप्रति, ग्राम छाबासर की जमाबंदी सम्वत् 2076 की फोटोप्रति पेश की। अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड मंगवाया गया।

2– उभयपक्ष की बहस सुनी गई। दौराने बहस वकील प्रार्थी ने निगरानी में वर्णित तथ्यों को दुहराते हुए दलील दी कि –

2(1)– विकास अधिकारी पं.सं. भैरून्दा का उक्त आदेश सरासर गलत, विधि विरूद्ध, मनमाना व अनुचित दबाव व प्रभाव में आकर पारित किया होने से खारिज किये जाने योग्य है।

2(2)–निगरानीकर्ता व अप्रार्थीगण संख्या 5 से 8 का न तो कोई सरकारी भूमि पर अतिक्रमण है न ही उनका कोई नया कब्जा है न ही नया कब्जा व अतिक्रमण होना जांच रिपोर्टों में आया है इसके बावजूद भी निगरानीकर्ता व दीगर अप्रार्थीगण संख्या 5 से 8 को बिना कोई नोटिस दिये, बिना सुनवाई, जवाबदेही व साक्ष्य का अवसर दिये ही एकतरफा में विधि विरूद्ध आदेश पारित किया है जो अपास्त किये जाने योग्य है।

23/3/26

अपर कलक्टर, नागौर

2(3)–पंचायत समिति भैरून्दा ने मिथ्या शिकायत के आधार पर खसरा नं. 15 व 470 / 14 के संबंध में कमेटी गठित कर उस बाबत जांच कर जांच रिपोर्ट पेश करने के ग्राम पंचायत को आदेश / निर्देश दिये थे। जिसकी पालना में ग्राम पंचायत ने जांच कर रिपोर्ट पंचायत समिति भैरून्दा को प्रेषित की, जिस जांच रिपोर्ट में यह पाया गया कि मौके पर निगरानीकर्ता व दीगर के कदीमी समय से पुराने मकानात वगैरा बने हुऐ है व इन लोगो द्वारा ग्राम पंचायत में अपनी रहवासी जायगा के पट्टे बनाने के लिए आवेदन पेश किये हुऐ है। जो कार्यवाही प्रक्रियाधीन होना बताया व उक्त जांच रिपोर्ट में वार्ड पंचो व ग्रामवासियो के बयानो में भी उक्त मकानो निगरानीकर्ता व दीगर परिजनो के पुराने समय के होना पाया गया व उक्त मकानो से आम जनता का सुखाचार बाधित व प्रभावित नहीं होना पाया गया था व निगरानीकर्ता तथा दीगर अप्रार्थीगण के मकानात नया कब्जा नहीं होकर पुराना निवास होना बताया गया था। ऐसी स्थिति में विकास अधिकारी को इस तरह से जांच रिपोर्ट को अनदेखा करते हुऐ बिना आधार के अतिक्रमण मान कर कब्जा हटाने का आदेश पारित करने का कोई विधिक अधिकार व क्षेत्राधिकार न होते हुऐ भी आदेश जैर निगरानी पारित करने में भारी कानूनी त्रुटि की है।

2(4)–विकास अधिकारी द्वारा मंगवाई गयी जांच रिपोर्टो में यह स्पष्ट खुलासा तथ्य आये कि निगरानीकर्ता व दीगर अप्रार्थीगण के कब्जे पुराने समय के है उनके रहवास से आम जनता का सुखाधिकार बाधित नहीं होता है व उन निवासियो ने अपने अपने आवास के पट्टे बनवाने के लिए ग्राम पंचायत के समक्ष आवेदन भी पेश कर रखे है व पट्टा की कार्यवाही प्रक्रियाधीन होना बताया है इसके बावजूद भी विकास अधिकारी ने कानून को हाथ में लेकर व पद का दुरूपयोग कर बिना विधिक प्रक्रिया अपनाये निगरानीकर्ता की पीठ पीछे आदेश जेर निगरानी पारित किया है जो अवैध होने से निरस्त किये जाने योग्य है।

2(5)–शिकायतकर्ता हाबुराम पुत्र धूंकलराम जो कि सरकारी भूमि पर अतिक्रमण करने का आदी है उसके द्वारा सरकारी भूमि पर अतिक्रमण करने पर न्यायालय नायब तहसीलदार डेगाना के प्रकरण संख्या 375/2024 में खसरा नं. 227 रकबा 0.03 हैक्टेयर किस्म गे.मु. सड़क व प्रकरण संख्या 376/2024 खसरा नं. 471/2014 रकबा 0.03 हैक्टेयर गे.मु. भाकर पर वर्ष 2017 में अतिक्रमण करने पर प्रकरण दर्ज किये गये व उक्त अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही संबंधित विभाग द्वारा की गयी, जिससे अंसतुष्ट होकर शिकायतकर्ता ने निगरानीकर्ता के विरूद्ध यह मिथ्या शिकायत की है जो ग्राम पंचायत द्वारा गठित कमेटी द्वारा की गयी जांच से स्पष्ट साबित है। इसके बावजूद भी विकास अधिकारी पं.सं. भैरून्दा ने बिना किसी आधार के इस तरह का निरकुंश आदेश पारित किया है, जो अवैध होने से अपास्त किये जाने योग्य है।

2(6)–जांच रिपोर्ट में यह पाया गया कि उक्त भूमि आबादी भूमि है। जिसमें आबादी बसी हुई है व निगरानीकर्ता एवं दीगर अप्रार्थी संख्या 5 से 8 का इस जायगा के अलावा आबादी में निवास की अन्य कोई जायगा नहीं है इस प्रकार से विकास अधिकारी प.सं. भैरून्दा के समक्ष ऐसे कोई दस्तावेजी साक्ष्य सबूत, जांच बयान आदि नहीं थे कि निगरानीकर्ता व दीगर अप्रार्थीगण का कोई नया कब्जा हो व उक्त कब्जा प्रतिबंधित भूमि पर हो, जिससे ऐसा आदेश पारित किया जाना आवश्यक हो, इसके बावजूद विकास अधिकारी ने प्राकृतिक न्याय के सिद्वांतो के विपरीत आदेश पारित किया है जो निरस्त किये जाने योग्य है।

2(7)– ग्राम छाबासर की आबादी ज्यादा हो जाने के कारण आबादी भूमि का विस्तार जिला कलक्टर महोदय के आदेश से किया गया व जिला कलक्टर महोदय ने उक्त आबादी विस्तार ग्रामवासियो व आमजन के लिए किया था व उक्त आबादी विस्तार हेतु ग्राम पंचायत को दी गयी भूमि को ग्राम पंचायत को नियमानुसार विधिक प्रक्रिया अपना कर आवंटन / नियमन करने व पट्टे जारी करने के अधिकार दिये गये व निगरानीकर्ता व अन्य अप्रार्थीगण ने आबादी भूमि में स्थित पुराने मकानो के पट्टे जारी करने हेतु आवेदन पेश किये गये थे जो प्रक्रियाधीन है व उक्त भूमि आबादी विस्तार हेतु जिला कलक्टर महोदय द्वारा आवंटित की गयी थी जो न तो प्रतिबंधित भूमि है न ही पंचायत के लिए विशेष प्रयोजन हेतु आरंक्षित भूमि है जबकि आबादी के लिए आरक्षित भूमि है जो श्रीमान जिला कलक्टर नागौर के पत्र कमांक एफ.12 (144) राजस्व/2019/4246/ दिनांक 23.12.2019 से साफ जाहिर होता है इसके बावजूद भी विकास अधिकारी पं.सं. भैरून्दा ने श्रीमान जिला कलक्टर नागौर के उक्त आदेश में वर्णित बिन्दु संख्या 7 की गलत व्याख्या करते हुऐ विधि विरूद्ध आदेश जैर निगरानी पारित किया है।

2(8)– आबादी भूमि के संबंध में यदि कोई विवाद हो तो ग्राम पंचायत में शिकायत होती है व ग्राम पंचायत को इस संबंध में कार्यवाही करने का अधिकार होता है जबकि ग्राम पंचायत स्वयं ने निगरानीकर्ता व दीगर अप्रार्थीगण के मकानात कदीमी समय के होना माना है व पट्टो हेतु कार्यवाही प्रकियाधीन होना माना है ऐसे में स्थानीय निकाय द्वारा की गयी जांच व निगरानीकर्ता द्वारा प्रस्तुत पट्टे के आवेदन प्रक्रियाधीन होने आदि के तथ्यो को नजर अन्दाज करते हुऐ आदेश जैर निगरानी पारित करने में भारी कानूनी त्रुटि की है ।

13/3/24
अपर कलक्टर, नागौर

3– वकील अप्रार्थी संख्या 09 ने अपनी बहस में बताया कि–

3(1)–प्रार्थी ने निगरानी मे जो संक्षिप्त तथ्य दर्ज किये है वे बनावटी व असत्य है जो माने जाने योग्य नहीं है। क्योंकि उक्त निगरानीकर्ता अनिल नेतड व अप्रार्थी संख्या 5 से 8 द्वारा सरकारी भूमि पर नाजायज अतिक्रमण करने पर अप्रार्थी हाबुराम ने शिकायत की जिस पर विधिवत कार्यवाही होकर इनका सरकारी सम्पति पर अतिक्रमण करने पर अप्रार्थी हाबुराम ने शिकायत की जिस पर विधिवत कार्यवाही होकर इनका सरकारी सम्पति पर अतिक्रमण मान कर अतिक्रमण हटाने का विधि सम्मत आदेश विकास अधिकारी पंचायत समिति भैरून्दा जिला नागौर क्रमांक पसभै/पंचायत/2025–26/1353 दिनांक 09.09.2025 को पारित किया था। जिस विधि सम्मत आदेश के विरूद्व सरासर गलत यह निगरानी न्यायालय हाजा में पेश की है व वास्तविक तथ्य न्यायालय से छुपाये है। चूंकि निगरानीकर्ता अनिल नेतड सरकारी अध्यापक है जिसको कानूनी प्रावधानों व अपराध आदि की जानकारी रहती आई है इसके बावजूद उक्त भूमि पर स्वयं व अपने परिजनों के जरिये नाजायज अतिक्रमण किया है इतना ही नहीं निगरानीकर्ता की माता अप्रार्थी तुलसीदेवी आंगनवाडी कार्यकर्ता है तथा धनाढ्य परिवार से ये लोग ताल्लुक रखते है राजनैतिक रसूखात वाले लोग है निगरानीकर्ता व उसके दीगर परिजनों अप्रार्थीगण के पास खातेदारी की भूमि ग्राम छाबासर में खसरा नम्बर 98, 292, 329, 330 स्थित है फिर भी सरकारी व गरीब लोगों के लिए आरक्षित भूमि पर नाजायज कब्जा/अतिक्रमण किया है जिसकी शिकायत होने पर अतिक्रमण साबित माना है व अतिक्रमण हटाने का विधि सम्मत आदेश पारित किया है व अतिक्रमण हटाने की विधिक कार्यवाही को बाधित करने व अपना नाजायज अतिक्रमण पुख्ता बनाये रखने के लिए सलाह मशविरा करके मिथ्या निगरानी पेश की है।

3(2)–निगरानी मे यह गलत लिखा है कि विद्वान विकास अधिकारी पं. स. भैरून्दा का उक्त आदेश सरासर गलत, विधि विरूद्व, मनमाना व अनुचित दबाव व प्रभाव में आकर पारित किया होने से खारिज किये जाने योग्य हो। जबकि आदेश जैर निगरानी विधि सम्मत ढंग से विधिक प्रक्रिया की पालना करते हुए पारित किया गया है जो किसी भी तरह से विधि विरूद्व नहीं है।

3(3)–प्रार्थी ने निगरानी मे यह भी गलत दर्ज किया है कि निगरानीकर्ता व अप्रार्थीगण संख्या 5 से 8 का न तो कोई सरकारी भूमि पर अतिक्रमण है न ही उनका कोई नया कब्जा है न ही नया कब्जा व अतिक्रमण होना जांच रिपोर्टों में आया हो इसके बावजूद भी निगरानीकर्ता व दीगर अप्रार्थी संख्या 5 से 8 को बिना कोई नोटिस दिये, बिना सुनवाई जवाबदेही व साक्ष्य का अवसर दिये ही एकतरफा मे विधि आदेश पारित किया है जो अपास्त किये जाने योग्य हो। जबकि अतिक्रमण की शिकायत होने पर विधिवत जांच की गयी व इनका मौके पर नाजायज अतिक्रमण पाया गया व सम्पूर्ण विधि प्रक्रिया अपना कर अतिक्रमण हटाने का आदेश दिया गया है जो किसी भी रूप में हस्तक्षेप योग्य नहीं है यदि आदेश जैर अपील मे हस्तक्षेप किया गया तो न केवल निगरानीकर्ता व उसके परिजन पुख्ता कब्जा करने में कामयाब होगे बल्कि उनके सहयोगी भी सरकारी भूमि पर नाजायज अतिक्रमण करने मे सफल होगे जिससे गरीब लोगो के लिए आरक्षित भूमि से वास्तविक पात्र लोग वंचित हो जावेगे व अतिक्रमण बढता जायेगा, इस कारण उक्त निगरानी खारिज किये जाने योग्य है।

3(4)–निगरानीकर्ता ने निगरानी के आधारों में अन्य तथ्य भी बढा चढा कर भ्रमित तथ्य दर्ज कर रिपोर्ट व कार्यवाही के संबंध में अपूर्ण व गलत अर्थ निकाल कर तथ्य दर्ज किये है जो कतई माने जाने योग्य नहीं है। निगरानीकर्ता व उसके परिजन उक्त कथित भूमि के किस प्रकार से हकदार है इस बाबत कोई तथ्य दर्ज नहीं किये है न ऐसा कोई कानूनी प्रावधान है इस कारण भी निगरानी पोषणीय नहीं है कानूनी प्रावधानों का दुरूपयोग किया गया है।

3(5)– प्रथम तो निगरानीकर्ता व उसके परिजन का कोई पुराना कब्जा नहीं है लगातार व आरक्षित भूमि पर धनबल व राजनेतिक रसूखात के चलते अतिक्रमण किया जा रहा है फिर भी यदि सरकारी या आरक्षित भूमि पर काफी समय पहले कोई नाजायज अतिक्रमण कर लेवे तो सक्षम व्यक्ति का ऐसा अतिक्रमण पुराने कब्जे की आड में कतई बचाये रखने योग्य नहीं हो सकता है क्योंकि हस्तगत भूमि पात्र व्यक्तियों यानि गरीब व अनुसूचित जाति के लोगों आदि के लिए आरक्षित रही है प्रार्थी स्वर्ण जाति का है सरकारी कर्मचारी है सक्षम व्यक्ति है नियमन आदि का भी पात्र नहीं है यानि किसी भी सुरत मे उसका अतिक्रमण वैध नहीं है न माना जा सकता है। इन सभी तथ्यों परिस्थितियों में निगरानी पोषणीय नहीं होने से खारिज किये जाने योग्य है।

23/3/26

अति. कलक्टर, नागौर

4—अप्रार्थी संख्या 03 व 4 ने अपनी बहस में बताया कि—

4(1)—ग्राम छाबसर की आबादी भूमि खसरा नम्बर 15 व 471/14 आबादी भूमि के रूप में ग्राम पंचायत पालडी कलां के नाम दर्ज है। जिस पर अतिक्रमण की शिकायत पर ग्राम पंचायत द्वारा तीन वार्ड पंच की कमेठी द्वारा जांच रिपोर्ट अनुसार एवं विकास अधिकारी पंचायत समिति भैरूंदा द्वारा गठित तीन सदस्यीय जांच कमेठी की रिपोर्ट के अनुसार इस आबादी भूमि पर ग्राम के अनिल नेतड, सुनिल नेतड, तुलसी देवी, तुलसीराम, सीतादेवी के पुराने रहवासी मकान बने हुए है तथा मकानों के चिपती जायगा का इनके द्वारा आवासीय सहबद्व कार्यों में उपयोग लिया जा रहा है।

4(2)—इस आबादी भूमि के निवासियों द्वारा कब्जासुदा भूमि के नियमन एवं पटटों हेतु आवेदन ग्राम पंचायत से प्राप्त हुए जिस पर आवश्यक कार्यवाही पश्चात पंच कमेठी द्वारा मौका निरीक्षण रिपोर्ट अनुसार एवं पंचायतराज अधि. 1996 की धारा 146(3) में उल्लेखित शर्तों के विपरीत नहीं होने के कारण ग्राम पचांयत बैठक में सदन द्वारा उक्त भूमि के प्रस्तावित विक्रय किये जाने का अन्नतिम विनिश्चय किया जाकर आगे की कार्यवाही प्रस्तावित की गई।

5— पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात् का अवलोकन किया गया। बहस पर मनन किया गया। प्रार्थी द्वारा विकास अधिकारी, पंचायत समिति भैरूंदा द्वारा आदेश क्रमांक पसभै/पंचायत 2025—26/1353 दिनांक 09.09.2025, को निरस्त किये जाने को लेकर यह निगरानी प्रस्तुत की गई है। पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व अभिलेखों एवं ग्राम पंचायत द्वारा प्रस्तुत मौका निरीक्षण रिपोर्ट का अवलोकन किया गया। ग्राम छाबासर के खसरा नंबर 15 के संबंध में यह निर्विवाद तथ्य है कि उक्त भूमि राजस्व रिकॉर्ड में 'आबादी' दर्ज है। ग्राम पंचायत की जांच रिपोर्ट एवं वार्ड पंचों के बयानों से यह स्पष्ट रूप से प्रमाणित होता है कि विवादित स्थल पर निगरानीकर्ता के रिहायशी मकान अत्यंत पुराने हैं, जिनमें वे सपरिवार वर्षों से निवास कर रहे हैं। निगरानीकर्ता द्वारा उक्त कब्जे के नियमन हेतु ग्राम पंचायत के समक्ष पट्टा आवेदन प्रस्तुत किए गए हैं, जो वर्तमान में प्रक्रियाधीन एवं लंबित हैं। ऐसी स्थिति में, जब पट्टा जारी करने की विधिक कार्यवाही विचाराधीन हो, विकास अधिकारी द्वारा पट्टा पत्रावलियों के अंतिम निस्तारण की प्रतीक्षा किए बिना ही उक्त निर्माण को 'अवैध अतिक्रमण' की श्रेणी में रखना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता। इसके अतिरिक्त, विकास अधिकारी ने उक्त आदेश पारित करने से पूर्व निगरानीकर्ता को अपना पक्ष रखने या साक्ष्य प्रस्तुत करने का कोई उचित अवसर प्रदान नहीं किया, जो कि प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत (Principles of Natural Justice) का उल्लंघन है। अतः विकास अधिकारी भैरून्दा द्वारा विधिक प्रक्रिया को दरकिनार कर खसरा नंबर 15 के संबंध में पारित आदेश निरस्त (Quash) किये जाने योग्य है।

खसरा नंबर 470/14 के संबंध मे श्रीमान जिला कलेक्टर, नागौर का आदेश क्रमांक एफ. 12(144)राजस्व/2019/4246 दिनांक 23.12.2019 अत्यंत महत्वपूर्ण साक्ष्य है। उक्त आदेश की मंशा अत्यंत स्पष्ट है कि यह आरक्षित भूमि समाज के वंचित और निर्धन वर्गो के लिए आवंटन की गई थी। विकास अधिकारी की मौका रिपोर्ट से यह स्पष्ट हुआ है कि उक्त आरक्षित भूमि पर वर्तमान में लोहे के चद्दर का हॉल एवं कंटीली बाड़ लगाकर नवीन अतिक्रमण (Fresh Encroachment) करने का प्रयास किया गया है। विकास अधिकारी द्वारा इस खसरे के संबंध में की गई जांच और अतिक्रमण हटाने हेतु किया गया आदेश पूर्णतः विधिक, तर्कसंगत एवं लोक नीति के अनुरूप होना प्रतीत होता है। अतः खसरा नम्बर 470/14 के संबंध में विकास अधिकारी भैरून्दा का आदेश यथावत (Maintain) रखा जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

6— उपर्युक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत निगरानी आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है तथा विकास अधिकारी, पंचायत समिति भैरूंदा के आदेश क्रमांक पसभै/पंचायत 2025—26/1353 दिनांक 09.09.2025 में इस सीमा तक संशोधन किया जाता है कि ग्राम छाबासर के खसरा नम्बर 15 के संबंध में पारित आदेश, विधिक प्रक्रिया एवे नैसर्गिक न्याय के सिद्वान्तों के विपरीत होने के कारण निरस्त किया जाता है, जबकि खसरा नम्बर 470/14 के संबंध में, चूंकि उक्त भूमि समाज के वंचित और निर्धन वर्गो के लिए आबादी विस्तार हेतु आरक्षित है, अतः इस पर किए गए नवीन अतिक्रमण को हटाने के संबंध में विकास अधिकरी, भैरून्दा द्वारा पारित उक्त आदेश विधिक रूप से तर्कसंगत एवं न्यायोचित होने के कारण यथावत (Maintain) रखा जाता है।

7— निर्णय आज खुले न्यायालय में सुनाया गया।

13/3/26

(चम्पालाल जीनगर)
अपर जिला कलक्टर,
नागौर

अपर कलक्टर, नागौर